तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24/3/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण विपक्षीगण को समन रजि० डाक द्वारा भेजने का [illegible] देर नकार चाहते हैं। अंतिम मौका दिया जाता है। पत्रावली दि० 2/5/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
2/5/22	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अत: इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 20/5/22 को पेश हो।
20/05/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के समन डाक द्वारा भेजकर रसीदें पेश की। रसीदें शामिल पत्रावली की गई। विपक्षीगण अनुपस्थित। इंतजार हो। कारण पत्रावली दिनांक 01/06/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
8/6/22	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अत: इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 14/6/22 को पेश हो।
14/6/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। आवाजें दिलाई गई बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित [illegible] विपक्षीगण के खिलाफ एक तरफा [illegible] वकील प्रार्थीगण के बहस सुनी। आदेश [illegible] करवाया जाकर न्यायालय सुनाया गया। आदेश [illegible] तहरीर [illegible] हो। नकल प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय सुनाया होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

(315 नो. 5/5/22)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:04:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

संख्या: 96/2021

र्थीगण :–

1. पपूराम पुत्र घमूराम
2. भोजाराम पुत्र घमूराम
3. बाबु पत्नी घमूराम
   जाति मेगवंशी निवासी राणासर खुर्द तहसील गुडामालानी

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. गोमदा पुत्र काना
2. तोगा पुत्र काना
   भील साकिन राणासर खुर्द गुड़ामालानी
3. भेराराम पुत्र हीराराम
4. भोमाराम पुत्र हीराराम
5. लाछीदेवी पत्नी हीराराम
6. हीराराम पुत्र फगलू के वारिसान विप्रार्थी संख्या 3 से 5
   कौम विश्नोई साकिन राणासर खुर्द गुड़ामालानी
7. जूंजाराम पुत्र मगाराम
8. अचलाराम पुत्र मगाराम
9. लाली पत्नी मगाराम
   मेगवाल साकिन राणासर खुर्द
10. जोगाराम पुत्र पूनमाराम
11. रूपाराम पुत्र पूनमाराम
    कौम भील साकिन राणासर खुर्द तहसील गुड़ामालानी
12. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 14/6/22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता [illegible] चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। [illegible] के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2074–2077 (20[illegible]) [illegible] राणासर खुर्द पटवार क्षेत्र राणासर खुर्द के खेत खसरा नम्बर [illegible] रकबा 5.6656 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का [illegible]म बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:04:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा राणासर खुर्द के खेत खसरा नम्बर 4/7 रकबा 5.6656 हैक्टेयर के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 14/6/22 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:04:49 IST
Reason: SelfAttested